

कांग्रेस को धन्यवाद प्रस्ताव पर मोदी का भाषण “निराशाजनक” लगा

कांग्रेस के अनुसार, 60 बार मोदी ने कांग्रेस का नाम लिया, पर, कोई नई बात नहीं की, केवल जवाहर लाल नेहरू व आपातकाल के अवगुण गिनाये और जोर देकर बताया कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार के हित के अनुसार नीतियां बनाती है

-रण मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का राज्यसभा में जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 60 बार कांग्रेस का नाम लिया।

देश के लिये अपने विज्ञान, जनता के लिये अपनी आशाओं और आकांक्षाओं तथा पवित्र्य के लिये अपनी योजना की रूपरेखा को साझा करने के मामले में, नरेन्द्र मोदी के पास कहने के लिये कुछ भी नया नहीं है।

इसके अलावा, उनका भाषण कांग्रेस पार्टी के लिए अपशब्दों और निंदा की एक लंबी फहरिस्त थी। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू से शुरुआत की, आपातकाल पर आये और यह बताते रहे कि यह किस तरह से एक परिवार, वंशवाद, तुष्टिकरण की राजनीति, कोटा, परमिट राज तथा ऐसी ही चीजों की पार्टी रही है।

उनके पूरे भाषण में अतीत, शिकायतों को कहानी तथा कांग्रेस के प्रति कटुता पूरी तरह दिखाई दे रही थी।

मोदी बार-बार कहते रहे कि सबका

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका से “डिपोर्ट” किये गये भारतीय नागरिकों को हाथों में हथकड़ियाँ व पैरों में बेड़ियाँ डालकर, बड़े अपमानजनक तरीके से एयरफोर्स के हवाई जहाज से 40 घंटे की यात्रा करा कर, भारत भेजा गया। पर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस अपमानजनक बर्ताव के लिये अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा।

कांग्रेस का यह भी कहना था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने राहुल गांधी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया और उस भाषण में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये उनका भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कुछ भी जिक्र नहीं किया, हालांकि, उम्मीद थी कि वे इन मुद्दों को जरूर संबोधित करेंगे अपने जवाब में।

साथ, सबका विकास भाजपा का मंत्र है तथा भाजपा के लिये पहले राष्ट्र आता है, परिवार नहीं।

रोचक बात यह रही कि मोदी के भाषण से ठीक पहले, विपक्ष ने मोदी और उनकी सरकार की खिंचाई करते हुये कहा कि वे अमेरिका से निर्वासित भारतीयों की दुर्दशा के मुक दर्शक बने हुये हैं। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ

थीं, 40 घंटे तक वे हवाई जहाज में अग्निपरीक्षा से गुजर रहे थे, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था, और इधर मोदी और उनके विदेश मंत्री चुप्पी साधे हुये थे। इन दोनों ने ट्रम्प द्वारा निर्वासित इन प्रवासियों के समर्थन में एक शब्द तक नहीं कहा।

विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किया, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इस

बिन्दु पर कहने के लिये कुछ भी तो नहीं था।

नरेन्द्र मोदी के पास राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिये गये भाषण के विषय में भी कहने के लिये कुछ नहीं था। राहुल ने अपने भाषण में मैयूफेक्चरिंग के आँकड़ों के रसलत में पहुँचने की बात कही, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत बताई, चीनियों का सामना करने के लिये ललकारा, अमेरिका से बग़ार के स्तर पर बात करने जरूरत बताई तथा ऐसी ही कई कड़वी सच्चाइयों से रुबरु किया था।

जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, मोदी के पास युवाओं के सामने खड़ी समस्याओं का कोई समाधान और जवाब नहीं है।

राहुल ने रहस्योद्घाटन किया था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच, महाराष्ट्र 7 लाख वोट बढ़ गये और शिरडी की एक बिल्डिंग में ही 7000 नये मतदाता बढ़ गये थे, और जहाँ-जहाँ मतदाता सूची में ये नये मतदाता जोड़े गये, उन सभी सीटों पर भाजपा जीती। फिक्की मजेदार बात है।

और मोदी जी के पास विपक्ष द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कैदी से मारपीट करने वाले जेल अधीक्षक पर विभागीय कार्यवाही करें’

जयपुर, 6 फरवरी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर में केन्द्रीय कारागार में कैदी से मारपीट और उसके साथ प्रताड़ना करने वाले तत्कालीन जेल अधीक्षक संजय यादव और प्रहरी दिनेश, सुनील, विक्रम, धर्मेन्द्र, शिशुपाल, अजीत और उममेद सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, आयोग ने बंदी मुकेश के

राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर के केन्द्रीय कारागार के तत्कालीन जेल अधीक्षक तथा सात प्रहरीयों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की।

मानवाधिकार हनन होने पर उसे पचास हजार रुपए व दो अन्य कैदी करण और श्याम लाल को 25 हजार रुपए अदा करने को कहा है। आयोग ने यह आदेश दोषी अधिकारियों से वसूलने की छूट दी है। आयोग सदस्य जस्टिस रामचन्द्र सिंह झाला ने यह आदेश किरण शेखावत के परिवार पर सुनवाई करते हुए दिया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जेल में बंद रहने के आधार पर उसके मानवाधिकार समाप्त नहीं होते हैं। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह जेल में बंद व्यक्ति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या दिल्ली का “मिडिल क्लास” आप से शिफ्ट हुआ है, इस बार चुनाव में?

और क्या यह ही मुख्य कारण रहेगा, आप को तीसरी बार सरकार बनाने से रोकने के लिये?

दिल्ली के मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) को कई शिकायतें थीं, आप से, जैसे, नये रोजगारों का सृजन न होना, “कॉस्ट ऑफ लिविंग” में वृद्धि, नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़कें आदि) की खराब स्थिति तथा गवर्नन्स व सरकारी सुविधाओं का घटता स्तर आदि।

भाजपा ने “मिडिल क्लास” की इन शिकायतों के जवाब में प्रशासन में सुधार करने के वादे किये व कई “वैलफेयर स्कीम्स” शुरु करने का विश्वास दिलाया तथा यह साबित करने का प्रयास किया कि भाजपा के वादे थोथे वादे नहीं हैं और इसका प्रमाण है केन्द्रीय सरकार की उपलब्धियाँ।

दिल्ली में “मिडिल क्लास” की कॉलोनियाँ, जैसे साउथ दिल्ली व नई दिल्ली में मतदान का प्रतिशत कम होना भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दिल्ली का मध्यम वर्ग आप से असंतुष्ट था।

दिल्ली के मध्यम वर्ग को रोजगार, जीवनन्यायन की लागत, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रशासनिक असफलता जैसी अनेक चिंताएँ हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को गिनाकर तथा सुधारों व कल्याणकारी योजनाओं के वादे करके जनता की इस मायूसी को

दूर करने की कोशिश की है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोलस तथा मतदान प्रतिशत मतदाता के सम्मान में संभावित बदलाव को इंगित करते हैं, जो मिडिल क्लास के आम आदमी पार्टी के मोहभंग का संकेत हो सकते हैं। कई एग्जिट पोलस भारतीय

जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक्सिस माइ इण्डिया का एग्जिट पोल की भविष्यवाणी है कि भाजपा को 70 में से 45 से 55 सीटें मिलेंगी, जबकि, आप के लिए 15 से 25 सीटें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘राज्य में कितने मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें कितने शिक्षक हैं’

हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा

जयपुर, 6 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में सरकारी और निजी कितने मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें कितनी संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मेडिकल कार्निवल ऑफ इंडिया से यह बताने को कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के कार्यरत होने को लेकर उनके पास क्या मैकेनिज्म है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश महेंद्र गोड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इस मुद्दे पर सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

जनहित याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि प्रदेश में संचालित अधिकांश

अदालत ने मेडिकल आउत्सिल ऑफ इंडिया को भी यह बताने को कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के कार्यरत होने को लेकर उनके पास क्या मैकेनिज्म है।

मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी है। नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज में एक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षकों की कमी के कारण, एमबीबीएस पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रभावित हो रहा है और बिना मार्गदर्शन कोर्स पूरा होने के बाद यह चिकित्सक किस तरह मानव शरीर

का इलाज करेंगे, यह समझ से परे है। याचिका में कहा गया कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए होने वाले निरीक्षण के समय दूसरे मेडिकल कॉलेज से शिक्षकों को संबंधित कॉलेज में पदस्थापित कर लिया जाता है और निरीक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को वापस भेज दिया जाता है। याचिका में कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर चिकित्सा शिक्षकों का डेटा प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी मेडिकल कॉलेज में कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद खाली चल रहे हैं।

मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगते हुए, एमसीआई से भी इस संबंध में बनाए गए मैकेनिज्म की जानकारी पेश करने को कहा है।

सांसद-विधायकों के अपराधिक मामलों में जल्दी सुनवाई पूरी करें

जयपुर, 6 फरवरी (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांसद और विधायकों से जुड़े अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा है। अदालत ने संबंधित सत्र न्यायालयों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को

हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद को इन मामलों के जल्दी निस्तारण पर दो माह में सुझाव देने को कहा।

कहा है कि वह इन प्रकरणों में जारी समन और वारंट आदि की तामील सुनिश्चित कराए, ताकि प्रकरणों के निस्तारण में देरी न हो। इसके अलावा, अदालत ने सरकारी वकीलों की ओर से इन मामलों में अनावश्यक तारीख नहीं लेने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई के लिए किसी तरह की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पद्मेश मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में एएसजी पद पर नियुक्ति वैध है’

हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करना राज्य सरकार का प्रशासनिक व वैधानिक अधिकार है

जयपुर, 6 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पदमेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/ए.ए.जी.) के तौर पर नियुक्त करने को कानूनी तौर पर वैध माना है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एएजी पद पर की गई नियुक्ति विधिस्मृत है और लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करना राज्य सरकार का प्रशासनिक व वैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही, अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से जिस तरह पैरवी की गई है, वह प्रशंसनीय है, लेकिन वह किसी भी तरह की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश अधिवक्ता सुनील समदड़िया की याचिका पर दिए। अदालत में पदमेश मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गण गुप्ता और उनके सहायक शाश्वत

अदालत ने याचिकाकर्ता की पैरवी की प्रशंसा की, पर, कहा कि वह किसी तरह की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

पुरोहित पैरवी के लिए पेश हुए थे, जबकि राज्य सरकार की ओर से एएजी भरत व्यास ने जवाब पेश किया। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार की वाद नीति, 2018 के अनुसार, 10 साल का वकालत अनुभव रखने वाले अधिवक्ता को ही एएजी नियुक्त कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसमें संशोधन कर विशेषज्ञता के आधार पर किसी भी अधिवक्ता को एएजी बनाने का प्रावधान किया है। इसके तहत ही राज्य सरकार ने वकील के तौर पर 2019 में पंजीकृत पदमेश मिश्रा को

23 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पैनल एडवोकेट नियुक्त किया और इसके 3 दिन बाद ही, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का एएजी बना दिया। इससे दिखता है कि यह फैसला जल्दबाजी में और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। इसलिए मिश्रा को एएजी के तौर पर कार्य करने से रोका जाए।

इसके जवाब में, राज्य सरकार की ओर से एएजी भरत व्यास ने कहा कि कानून में राज्य सरकार को विधि व प्रशासनिक शक्ति या दी गई है, जिनके तहत, राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने लॉ ऑफिसर को नियुक्त कर सकती है। वहाँ, राज्य सरकार प्रशासनिक गड्डबगड़ाने को भी संशोधित कर सकती है। “वाद-नीति 2018” सिर्फ एक नीति है, कोई कानून नहीं, इसलिए सरकार इसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार रखती है। ए.ए.जी. भरत व्यास ने अदालत में

कहा कि पदमेश मिश्रा को 23 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पैनल एडवोकेट नियुक्त करना तथा इसके 3 दिन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का एएजी बनाया जाना, सिर्फ संयोग मात्र है। यह निष्कर्ष निकालना कि वाद नीति 2018 में परिवर्तन का फैसला किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया था, अतिशयोक्ति होगा। यह पदमेश मिश्रा की कार्य कुशलता को दर्शाता है कि सरकार ने उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी। अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति संविदात्मक करार के माध्यम से की जाती है, यह किसी सिविल अधिकारी की नियुक्ति के मापदण्डों के आधार पर नहीं होती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पदमेश मिश्रा की एएजी पद पर नियुक्ति विधिस्मृत है और इसे चुनौती देने वाली याचिका में कोई मेरिट नहीं है। इस नियुक्ति को अदालत में रिट दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भीमा कोरेगांव केस में जमानत याचिका स्थगित

नयी दिल्ली, 06 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ कथित संबंधों के आरोपों से जुड़े भीमा कोरेगांव मामले के संबंध

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता सुरेन्द्र गाडगिलिंग, सोशल एडिटिविस्ट ज्योति जगताप की जमानत याचिकाओं के साथ एनआईए की भी याचिका स्थगित कर दी, जो सह आरोपी महेश राउत को जमानत देने के खिलाफ दायर की गई थी।

में, अधिवक्ता सुरेन्द्र गाडगिलिंग और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का यही प्रावधान है, यात्रा के दौरान उन्हें बांधकर रखा जाता है’

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में बयान दिया और मोदी सरकार के बचाव का प्रयास किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 फरवरी। हक्की-बक्की मोदी सरकार डेमेज कंट्रोल में जुटी है। अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लाने वाला अमेरिकन सैन्य विमान अमृतसर में उतरा। इसमें सवार 104 भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ थी, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया था, मानो वे गुलाम हों, इस घटना ने औपनिवेशिक काल की याद ताजा करा दी।

मोदी सरकार का बचाव करते हुए, राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अमेरिका से बात कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका से भारत लाए जाने वाले अप्रवासियों को किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न सहना पड़े।

अमेरिकन सैन्य विमान में लौटे अवैध अप्रवासी भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष ने भारी हंगामा मचाया। इसके बाद जयशंकर का बयान आया। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका अप्रवासियों को वापस भेजने के लिए कौनसा तरीका अख्तियार करेगा, इसकी केन्द्र सरकार को कोई जानकारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय को अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से भारत लाने पर ट्रम्प प्रशासन से बात करनी चाहिए थी।

भारत के पास काफी समय था, क्योंकि ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जयशंकर अमेरिका में मौजूद थे और अमेरिकन अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। सरकार इन लोगों की ससम्मान वापसी का प्रयास कर

अप्रवासी भारतीयों को भूखा-प्यासा रखकर बेड़ियों में जकड़ कर लाने पर भारत के विपक्षी नेता भारी गुस्से में हैं, सभी ने कहा, जब ट्रम्प और मोदी दोस्त बताए जाते हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकन राष्ट्रपति की दोस्ती की बहुत बातें की जाती हैं, फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे होने दिया।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपमानजनक डिपोर्टेशन के लिए केन्द्र सरकार और विदेश मंत्रालय की कड़ी आलोचना की।

सकती थी, जैसे कि पहले भी किया था। पूर्व में जयशंकर ने कहा था कि डिपोर्टेशन इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) अथॉरिटीज द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि

आईसीई ने बताया था कि औरतों और बच्चों को नहीं बांधा जाएगा। इसके अलावा, इस दौरान इन लोगों की भोजन-पानी व अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और टॉयलैट ब्रेक के दौरान बंधन खोल दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ये नियम सैन्य विमान के साथ चार्टर्ड सिविलियन एयरक्राफ्ट में भी लागू होते हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं है, मैं दोहराता हूँ कि पूर्व में अमेरिका से हुए डिपोर्टेशन और 5 फरवरी को हुए डिपोर्टेशन में कोई फर्क नहीं है।

विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे डिपोर्ट हो रहे लोगों के साथ बैटकर यह पता लगाए कि वे अमेरिका कैसे पहुंचे, एजेंट कौन

मंत्री ने कहा कि हालांकि हमें

था, ताकि अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जा सके।

जयशंकर ने कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक कहीं भी गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस बुलाया जाए। यह नीति किसी खास देश पर नहीं लागू है, न सिर्फ भारत पर लागू है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों का एक सामान्य सिद्धांत है।

इसी बीच, सरकार की प्रोपैगैंडा शाखा प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने उन तस्वीरों को “फेक” बताया है, जिसमें डिपोर्ट किए गए भारतीयों का एक सामान्य सिद्धांत है।

आज दिन में विपक्षी सांसदों, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सपा नेता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान से 68 हिंदुओं का दल महाकुंभ आया

महाकुंभ नगर, 06 फरवरी। महाकुंभ की दिव्यता के बारे में सोशल मीडिया पर देख सुनकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग खुद को यहां आने से रोक नहीं सके और वहां से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था बृहस्पतिवार को यहां पहुंचा। गुरुवार को कई

सिंध प्रांत से ये लोग महाकुंभ के वैध से अभिभूत नजर आए, गुरुवार को कई वीवीआईपी भी महाकुंभ स्नान के लिए आए।

वीवीआईपी महाकुंभ आए। केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद, हरियाणा सीएम नाथ सिंह सैनी, मणिपुर के सीएम एन बीरें देने वाली याचिका में कोई मेरिट नहीं परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने बोट की सवारी भी की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)